

यू० ओ० नोट

विषय:- नव जीवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना रानीसती नगर की विज्ञप्ति प्रत्याहरित करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जोन कार्यालय के पत्र क्रमांक 4159 दिनांक 12.12.2022 के माध्यम से आपको योजना रानीसती नगर के नियमन पूर्व आपत्तियां आमन्त्रित करने के क्रम में एक आम सूचना प्रेषित की गई थी। उक्त आम सूचना के विरुद्ध आपके कार्यालय द्वारा जो विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र महानगर टाइम्स एवं सांध्य दैनिक में दिनांक 11.01.2023 को प्रकाशित कराई गई है वह जोन द्वारा प्रेषित पत्र के अनुरूप ना होने के कारण निरस्त करने योग्य है। साथ ही जोन कार्यालय में भी योजना मानचित्र के खसरो में पी. टी. सर्वे के अनुसार अन्तर दृष्टिगोचर हो रहा है जिसकी सम्यक् जांच किया जाना आवश्यक है।

अतः उक्त विज्ञप्ति को प्रत्याहरित करने का श्रम करावें। साथ ही जोन द्वारा पत्र क्रमांक 4159 दिनांक 12.12.2022 के द्वारा प्रेषित आम सूचना को भी निरस्त समझा जावे। जोन कार्यालय द्वारा योजना के नक्शे एवं रिकॉर्ड की सम्यक् जांच पश्चात् आपको नवीन आम सूचना प्रेषित कर दी जावेगी।


उपायुक्त जोन-5

जन सम्पर्क अधिकारी,

ज. वि. प्रा., जयपुर।

यू. ओ. नोट क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-5/2023/डी-93

दिनांक:- 12.01.2023



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषय-आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

123706

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री जगदीश मीणा पुत्र श्री श्रवण लाल मीणा	श्रीमती गुलाब बेवा श्रवण मीणा	9/बीई/50	जविप्रा	रिंग रोड परियोजना	फ्रीहोल्ड लीजडीड	मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर।


उपस्थित जोन-9
जयपुर-9
जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा/जोन-9/2022/ क्रमांक:/डी- 157
दिनांक 11 01 2023



Azadi Ka
Amrit Mahotsav

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-08/2023/डी-52

दिनांक 11/1/23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री सिद्धार्थ कुमार अम्बेडकर पुत्र स्व० श्री रामचरण बैरवा	रामचरण बैरवा पुत्र श्री चन्दर लाल	44	200	बन्धु गृ.नि.स.स.	स्कीम नम्बर 27, सचिवालय विहार	फ्री होल्ड पट्टा	मृत्यू प्रमाण पत्र एवं रजि० हकत्याग पत्र के आधार पर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102311

दिनांक: 10/01/2023

लोक सूचना

श्रीमती सरोज नागर धर्मपत्नि श्री ओमप्रकाश नागर जाति रैगर निवासी-ढोढसर, चौमू, जिला जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-


क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	जयसिंहपुरा वास भांकरोटा, सांगानेर (जयपुर)	श्रीमती सरोज नागर धर्मपत्नि श्री ओमप्रकाश नागर जाति रैगर निवासी-ढोढसर, चौमू, जिला जयपुर।	881	10100	1.01
कुल					1.01

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **10-01-2023** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2023/डी-94

दिनांक: 11/1/23

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय:-राजस्व ग्राम-जुगलपुरा तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 423, 424, 425, 426, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 450, 459, 460, 461, 462, 465/665, 466, 468, 469, 477, 776/458, 777/414 किता-30 रकबा 6.06 हेक्टेयर भूमि की फार्म हाउस से आवासीय प्रयोजनार्थ धारा 90ए की लोक सूचना का राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदक द्वारा राजस्व ग्राम-जुगलपुरा तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 423, 424, 425, 426, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 450, 459, 460, 461, 462, 465/665, 466, 468, 469, 477, 776/458, 777/414 किता-30 रकबा 6.06 हेक्टेयर भूमि की फार्म हाउस से आवासीय प्रयोजनार्थ धारा 90ए की कार्यवाही के लिये जारी लोक सूचना का दो राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन आपके स्तर से करवाया जाना है। अतः आप उक्त लोक सूचना के प्रकाशन रोस्टर अनुसार 08 (आठ) फॉट साईज में दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर, समाचार पत्रों की दो-दो मूल प्रतियाँ इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सलंगन:-लोक सूचना।


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2022/डी-94

दिनांक: 11/1/23

लोक सूचना

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का फार्म हाउस से आवासीय प्रयोजनार्थ अग्रिम कार्यवाही बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल	खातेदार का नाम	धारा 90बी की कार्यवाही दिनांक
तहसील-आमेर जिला-जयपुर	जुगलपुरा	423, 424, 425, 426, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 450, 459, 460, 461, 462, 465/665, 466, 468, 469, 477, 776/458, 777/414 किता-30	कुल रकबा 6.06 हेक्टेयर भूमि	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	28.02.2011 (फार्म हाउस प्रयोजनार्थ)

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किए जाने पर आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज ...11/1/23..... को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर